रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 1990/ज्येष्ठ 8, 1912
No. 285] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 1990/JYAISTHA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 1990

का.आ. 416(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि—

(1) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (झझ) और (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों का उपबन्ध करने के लिए आदेश करने की उसकी प्रदत्त शक्तियों का आवश्यक वस्तु नारियल छिलका के सम्बन्ध में, केवल सरकार (जिसे इसमें इसके आगे राज्य सरकार कहा गया है) द्वारा भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रयोग किया जा सकेगा, अर्थात :—

(i) ऐसी शक्तियों का ऐसे किन्ही निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त दिए जाएं राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किया जाएगा;

(ii) वह मूल्य नियत करने के प्रयोजन के लिए जिस पर खण्ड (ग) के अधीन कच्चे या पानी में सड़ाए गए छिलके का विक्रय किया जा सकेगा, राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी जिसमें केन्द्रीय सरकार का एक नाम निर्देशिती सम्मिलित किया जाएगा ;

(iii) राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन नारियल छिलका के परिवहन पर कोई अन्तर-

राज्यिक या अंतरराज्यिक निर्बन्धन अधिरोपित नहीं करेगी, सिवाय उस सीमा तक जो खंड (iv) में निर्दिष्ट नारियल छिलके उद्ग्रहण की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो ;

(iv) राज्य सरकार इस आदेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसी एक स्कीम अधिसूचित करेगी जिसमें प्रत्येक खोपरा उत्पादक, छिलका व्यौहारी और पानी में छिलका सड़ाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उक्त स्कीम के प्रवृत्त होने की तारीख को उसके द्वारा स्टाक में और उसके द्वारा तत्पश्चात् अर्जित किसी स्टाक में रखे गए नारियल छिलके के तीस प्रतिशत से अनधिक के उद्ग्रहण के रूप में उपापन का पबंध किया जाएगा :

परन्तु उद्ग्रहण या तो हरे छिलके या पानी में सड़ाए गए छिलके के रूप में देय होगा;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (अ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए इस प्रकार प्राधिकृत राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा :

परन्तु नारियल का वह छिलका जिस पर जब वह खोपरा उत्पादक छिलका व्यौहारी या पानी में छिलका सड़ाने वाले व्यक्ति के पास या पूर्वोक्त रूप में उद्ग्रहण किया जा चुका है, किसी पश्चात्वर्ती संव्यवहार में उस पर और उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(2) कयर फाइबर की बाबत, राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन ही कोई आदेश जारी किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं.सा.का.नि. 992(अ), तारीख 30 जुलाई, 1986 के तारीख 31 मार्च, 1990 को व्यपगत हो जाने पर भी उस आदेश के अधीन की गई या चालू रखी गई कोई कार्रवाई अविधिमान्य नहीं होगी और उसे इस आदेश के अधीन किया गया या चालू रखा गया समझा जाएगा ।

(4) यह आदेश 30 जून, 1990 तक लागू रहेगा ।

[फा.सं. 6(1)/90-कयर]

एस.बी. महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th May, 1990.

S.O. 416(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby directs :—

(1) that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clauses (a),, (c) (d), (e), (f), (h), (i), (ii) and (j) of sub-section (2) thereof shall, in relation to the essential commodity coconut husk be exercisable also by the Government of Kerala (hereinafter referred to as the State Government), subject to the following conditions, namely :—

(i) that such powers shall be exercised by the State Government, subject to any directions that may be issued by the Central Government in that behalf ;

(ii) that for the purpose of fixing the price at which raw or retted husk may be sold under clause (c), the State Government shall constitute a Committee in which a nominee of the Central Government shall be included ;

(iii) that the State Government shall not put any inter-State or intra-State restriction on the transport of coconut husk under clause (d) of sub-section (2) of section 3 of the said Act, except to the extent necessary for operating the scheme for levy of coconut husk referred to in clause (iv) ;

(iv) that the State Government shall, as soon as, may be after the coming into force of this Order, notify a Scheme providing for the procurement by way of a levy from every copra producer, husk dealer and retter not more than thirty per cent of the coconut husk held in stock by him on the date of coming into force of the said Scheme and any stock acquired by him thereafter :

Provided that the levy shall be payable either in the form of green husk or retted husk ;

(v) that the powers under clause (j) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall be exercised by officers of the State Government so authorised for the purpose :

Provided that no coconut husk which has been subjected to levy as aforesaid in the hands of a copra

producer, husk dealer or retter shall be subjected to a further levy in any subsequent transaction.

(2) that in respect of coir fibre, no orders shall be issued by the State Government, except under clause (a) of sub-section (2) of section 3 of the said Act ;

(3) that notwithstanding the lapsing of the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) number G.R.S. 992(E) dated the 30th July, 1986 on the 31st March, 1990, any action taken or continued under that order shall not be invalid and shall be deemed to have been taken or continued under this order.

(4) that the Order shall remain in force upto the 30th June, 1990.

[File No. 6(1)[90-Coir]

S. B. MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990